कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी।

संख्याः 1891/आपदा लिपिक–कोविड–19–।। दिनांक : 05 मई, 2021.

आदेश

शासनादेश संख्या–326/एक–11–2021, राजस्व अनुभाग–11, लखनऊ, दिनांक 03 मई, 2021 के अन्तर्गत कोविड–19 की द्वितीय लहर के कारण प्रदेश में घोषित लाकडाउन की अवधि में गत वर्ष की भांति ऑन लाइन e-Pass जारी किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।

यह व्यवस्था पूर्व की भांति मुख्ययतः सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिये पास जारी करने हेतु निर्मित की गयी है। आमजन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिये भी e-Pass के लिये आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति आमजन को प्राप्त नहीं हो रही है तो उनके द्वारा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर की जा सकती है।

जनपद के सीमा के अन्तर्गत मान्य e-Pass जारी करने हेतु उपजिलाधिकारी तथा प्रदेश की सीमा के भीतर अर्न्तजनपदीय e-Pass जारी करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी अधिकृत होगें।

अतः एतद्द्वारा जनपद बाराबंकी से e-Pass जारी करने हेतु निम्न अधिकारियों को नामित किया जाता है:–

क्र0	नामित अधिकारी का नाम	पदनाम	क्षेत्र जहां के लिये e-Pass निर्गत किये जाने के लिये अधिकृत किया जा रहा है।
1	2	3	4
1.	श्री संदीप कुमार गुप्ता	अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), बाराबंकी। मो0–954417611.	प्रदेश की सीमा के भीतर अर्न्तजनपदीय
2.	श्री अभय कुमार पाण्डेय	उपजिलाधिकारी, नवाबगंज, बाराबंकी। मो0–9454416145.	जनपद की सीमा के अन्तर्गत
3.	श्री दिव्याशूं पटेल	ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ उपजिलाधिकारी, रामसनेहीघाट, बाराबंकी। मो0–9454416146.	जनपद की सीमा के अन्तर्गत
4.	श्री पंकज सिंह	उपजिलाधिकारी, फतेहपुर, बाराबंकी। मो0–9454416147.	जनपद की सीमा के अन्तर्गत
5.	श्रीमती शालिनी प्रभाकर	उपजिलाधिकारी, हैदरगढ़, बाराबंकी। मो0–9454416148.	जनपद की सीमा के अन्तर्गत
6.	श्री राजीव कुमार शुक्ल	उपजिलाधिकारी, रामनगर, बाराबंकी। मो0–9454416149.	जनपद की सीमा के अन्तर्गत
7.	श्री सुरेन्द्र पाल विश्वकर्मा	उपजिलाधिकारी,सिरौलीगौसपुर, बाराबंकी। मो0–9454416149.	जनपद की सीमा के अन्तर्गत

उक्त नामित अधिकारियों द्वारा शासनादेश संख्या–326 दिनांक 03 मई, 2021 तथा e-Pass निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में गृह विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/गाइड लाइन का अनुपालन करते हुए e-pass निर्गत किये जाएंगे।

आवेदक rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic.in/epass के माध्यम से ऑनलाइन हेतु आवेदन कर सकेगें।

1– e-pass portal में संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है जिसमें एक संस्था, आवेदक सहित अधिकतम 05 कार्मिकों हेतु पास आवेदन कर सकेगी।

2– ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण/सत्यापन अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। आवेदनों को परीक्षणोपरान्त स्वीकृत या अस्वीकृत किया जायेगा। स्वीकृत किये गये आवेदनों हेतु e-pass ऑनलाइन जारी किये जायेगें जिनको आवेदक द्वारा उन्हें प्राप्त SMS में दिये गये लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड/प्रिंट कर उपयोग किया जा सकेगा। e-pass की इलेक्ट्रानिक कापी भी मान्य होगी।

3– e-pass की पूर्ण अवधि में जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को e-pass के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया GST प्रमाण–पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण–पत्र, फोटोयुक्तपहचान पत्र यथा–आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः........02

4– संस्थानों हेतु जारी e-pass लाकडाउन की सम्पूर्ण अवधि हेतु वैध होगें जबकि आमजन हेतु जारी जनपदीय e-pass की पास की वैधता 01 दिवस की होगी एवं अर्न्तजनपदीय e-pass की वैधता 02 दिवस की होगी।

5– चेकिंग के दौरान e-pass का सत्यापन QR-Code के माध्यम से पुलिस कर्मियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। e-pass मात्र अत्यावश्यक एवं लाकडाउन की अवधि में परिस्थितिजन्य कठिनाईयों के निराकरण हेतु निर्गत किये जाये तथा लाकडाउन की स्थिति में संक्रमण पर अकुश लगाने के लिये e-pass जारी किये जाने में सावधानी बरती जाए।

6– प्रदेश के बाहर राज्यों के लिये विशिष्ट मामलों में e-pass, आवेदक के प्रस्थान जनपद से सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेगें।

अतः उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–11, लखनऊ।
2– आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
3– पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
4– मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
5– अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), बाराबंकी को अनुपालनार्थ।
6– अपर पुलिस अधीक्षक(उ0/द0), बाराबंकी।
7– जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी।
8– मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी।
9– समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद बाराबंकी को अनुपालनार्थ।
10– समस्त अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी।
11– प्रभारी अधिकारी, इन्टीग्रेटेड कोविड कमान्ड एवं कन्ट्रोल रूम, बाराबंकी।
12–समस्त क्षेत्राधिकारी पुलिस, जनपद बाराबंकी।
13–समस्त तहसीलदार, जनपद बाराबंकी।
14–सहायक आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बाराबंकी को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

जिलाधिकारी,
बाराबंकी।